निर्वाचन विभाग के निर्देश पर बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स हटाये

न्यास की टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों से हटाए बैनर पोस्टर

कोटा, (विराट वैभव)। चुनाव आयोग की और से विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू कर दी गई हैं। अचार सहिता लागू होने के बाद जिला निर्वाचन विभाग चुनाव आयोग की और से लगाई गई आचार संहिता की पालना की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। सोमवार जिला निर्वाचन विभाग के निर्देश पर नगर विकास न्यास के दस्ते ने कोटा शहर की कोटा दक्षिण विधानसभा कोटा उत्तर विधानसभा लाडपुरा विधानसभा और रंगमंडी विधानसभा के शहरी क्षेत्र से लगी प्रचार सामग्री को हटाया उसका निस्तारण किया। नगर विकास न्यास के सचिव मानसिंह मीणा ने बताया कि आचार संहिता की पालना को लेकर यह कार्रवाई की गई है और यह कार्रवाई जिला निर्वाचन विभाग के निर्देश पर अनवरत जारी रहेगी । शहर में आचार संहिता की पालना मुस्तेदी हो इसके लिए अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। नगर विकास न्यास के उप अधीक्षक आशीष भार्गव ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के साथ ही शहर के विभिन्न इलाकों एवं सड़कों पर राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर बैनर कोडिंग एवं सड़कों के किनारे पोल पर लगे प्रचार सामग्री को हटाने की कार्रवाई की गई है गुमानपुरा नयापुरा स्टेशन रोड विज्ञान नगर में रोड तलवंडी , महावीर नगर सहित अन्य क्षेत्र में जहां भी बैनर पोस्टर प्रचार सामग्रियां लगाई गई थी उनको हटाया जा रहा है यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

जयपुर बम ब्लास्ट केस के एक आरोपी को मिली जमानत, जिंदा बम मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, तीन अन्य आरोपी भी जेल में बंद

जयपुर कासं। जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के दौरान जिंदा बम मिलने के मामले में आज हाईकार्ट (जयपुर बैंच) ने एक आरोपी मोहम्मद सरवर आजमी को जमानत दे दी है। राजस्थान पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद सरवर 2009 से जेल में है। इस मामले के सरवर के साथ 3 अन्य आरोपी भी जेल में बंद हैं। जस्टिस बीरेन्द्र कुमार की अदालत ने आरोपी मोहम्मद सरवर आजमी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। आरोपी की ओर से वकील सयैद सआदत अली ने कोर्ट में पैरवी की। आरोपी को जिंदा बम मिलने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में पैरवी करते हुए मोहम्मद सरवर आजमी के वकील ने बताया- सरवर को बम ब्लास्ट के 8 मामलों में पहले हाईकोर्ट ने नीचली कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सभी आरोपों में दोषमुक्त कर दिया है। वहीं, एटीएस ने इन्हें जिंदा बम मामले में दोबारा गिरफ्तार किया। जिंदा बम मामले में उन सभी गवाहों को दोबारा कोर्ट में पेश करने के लिए कहा गया, जिन्होंने बम ब्लास्ट के मामले में गवाही दी थी। इस पर सुनवाई हुई, लेकिन उन गवाहों से भी कोर्ट को कुछ नया सबूत या दस्तावेज नहीं मिले। इसी आधार पर आज हाईकोर्ट ने सरवर आजमी की याचिका पर सुनवाई के बाद उसकी जमानत को मंजूरी दी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन

झुंझुनूं (विराट वैभव)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 9 से 18 अक्टूबर एज ग्रुप के अनुसार कक्षा 8 से कक्षा 12 में अध्ययनरत स्कूली विद्यार्थियों में विधिक जागृति के क्रम में प्रतियोगिताओं के जरिए विधिक चेतना अभियान के तहत जिला झुंझुनूं के सभी स्कूलों में ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं तथा राजकीय गैर राजकीय बाल गृहों व सम्प्रेषण गृहों में रह रहे बालक-बालिकाओं के बीच विधिक जागरूकता बढ़ाने के लिए गृह स्तरीय प्रतियोगिताओं आयोजित की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव दीक्षा सूद द्वारा प्रतियोगिताओं के सफल क्रियान्वयन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सम्प्रेषण व किशोर गृह व जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ मीटिंग ली गई। जिसमें प्रतियोगिताओं के संबंध में दिशा-निर्देश प्रदान किये गए। प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन के लिए उप जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वरी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सोमवार को स्कूल व गृह स्तर पर विद्यार्थियों के मध्य खेलकूद, पोस्टर पेंटिंग इत्यादि प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सचिव दीक्षा सूद द्वारा उपस्थित प्रतिभागीयों से परिचय प्राप्त कर उन्हें प्रोत्साहित कर उनके मध्य प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया।

विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता : राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकेंगे सरकारी कर्मचारी

जयपुर कासं। राजस्थान में विधानसभा आम चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव की घोषणा के साथ ही दौसा जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता की जानकारी देते जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेस को संबोधित किया ।

हटाए जा रहे होर्डिंग्स व बैनर-पोस्टर

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता की घोषणा के साथ ही अगले 24 घण्टे में सरकारी भवनों से होर्डिंग्स, दीवार लेखन, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स आदि हटवाए जाएंगे। साथ ही अगले 48 घण्टे में सार्वजनिक स्थानों एवं प्रॉपर्टी से होर्डिंग, दीवार लेखन, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स इत्यादि हटवाए जाएंगे।

वहीं अगले 72 घण्टे में निजी सम्पति से होर्डिंग, दीवार लेखन, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स इत्यादि हटवाने के निर्देश दिए हैं।

प्रचार-प्रसार के लिए सहमति जरूरी

बिना उम्मीदवार के अनुमति/संज्ञान विज्ञापन प्रचारित - प्रसारित करने पर प्रकाशक के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं किसी उम्मीदवार की लिखित सहमति के बिना किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा कोई व्यय करना अवैध रहेगा।

ऐसा किया तो माना जाएगा अवैध

कोई भी व्यक्ति मतदान प्रक्रिया में किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने अथवा मतदान से अलग रहने के लिए धन/वस्तु प्रदान करता है अथवा स्वीकार करता है तो रिश्वत की श्रेणी में माना जाएगा। किसी व्यक्ति के स्वैच्छिक मताधिकार के प्रयोग करने को बाधित करने अथवा परिवर्तित करने वाला कार्य असमेयक प्रभाव माना जाएगा।

नहीं तो होगी कार्रवाई

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई राजकीय कर्मचारी ना तो किसी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों जैसे रैली, सभा या चुनाव प्रचार में भाग ले सकेगा और ना ही किसी उम्मीदवार पार्टी के चुनाव मतदान गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य कर सकेगा। उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने कार्यालय एवं विभाग में निर्देशों की पालना करने को पाबंद किया है।

गाइडलाइन की करनी होगी पालना

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान जिले में स्थित राजकीय विभागों, उपक्रमों के विश्राम भवनों, अतिथि गृह, डाक बंगलों आदि में मंत्रीगण एवं राजनीतिक व्यक्तियों के रुकने के संबंध में निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस की पालना सुनिश्चित की जाएगी।

प्रेस कॉन्फ्रेस के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजकुमार कस्वां, अतिरिक्त जिला कलेक्टर लालसोट भावना शर्मा, उप निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग रामजीलाल मीना, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी छगल लाल यादव उपस्थित रहे।

इन नियमों की पालना जरूरी

- चुनाव के दौरान छपने वाले पैम्फलेट, पोस्टर, हैड-बिन और अन्य किसी दस्तावेज पर प्रकाशक एवं प्रिन्टर का नाम व पता अंकित होना अनिवार्य हैं।
- जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटिरंग कमेटी द्वारा पेड न्यूज पर सघन निगरानी रखी जाएगी तथा विज्ञापन जिला अधिप्रमाणन कमेटी से प्रमाणित होने बाद ही प्रसारित किये जा सकेंगे।
- चुनाव के दौरान मीडिया कवरेज हेतु विधानसभा क्षेत्र में मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व कोई चुनाव संबंधित सामग्री इलेक्ट्रॉनिक एवं संबंधित मीडिया पर प्रदर्शित नही की जाएगी। इसके अतिरिक्त एग्जिट पोल एवं उनके परिणामों पर 48 घण्टे पूर्व प्रतिबंध करती हैं।
- प्रत्येक अभ्यर्थी को नामांकन की तिथि से परिणाम घोषित होने की तिथि तक निर्वाचन के समस्त व्ययों का सही लेखा संधारित करना होगा।

राजस्थान में वोटिंग के 10 दिन बाद आएगा रिजल्ट : 23 नवंबर को मतदान, देवउठनी एकादशी भी इसी दिन, वोटिंग प्रतिशत पर पड़ सकता है असर

जयपुर (विराट वैभव)। राजस्थान में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो गया है। प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होगी। 23 नवंबर को मतदान होगा और 10 दिन बाद 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आ जाएंगे, यानी अगले 55 दिन में नई सरकार पर तस्वीर साफ हो जाएगी। चुनावों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है।

जिस दिन राजस्थान में वोटिंग है, उस दिन देवउठनी एकादशी है। देवउठनी एकादशी को सबसे बड़ा अबूझ सावा माना जाता है, माना जा रहा है कि इससे वोटिंग प्रतिशत पर असर पड़ेगा, क्योंकि इस दिन राजस्थान में लगभग 1 लाख शादियां होंगी।

देवउठनी एकादशी पर बड़े पैमाने पर लोग दूसरे गांव में भात भरने, बारात लेकर दूसरे गांव में जाते हैं। इसी तरह हलवाई, बैंड बाजे वाले कैटरिंग वाले और व्यापारी और पुजारी शादी के काम से जुड़ा कारोबार करने वाले सभी लोग व्यस्त रहते हैं।

राजस्थान में 20 जनवरी को मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, उससे पहले सरकार का गठन होना और विधानसभा सत्र बुलाना जरूरी है। 2018 में राजस्थान में 7 दिसंबर को मतदान हुआ था और 4 दिन बाद 11 दिसंबर को चुनाव परिणाम आए थे।

चुनाव प्रचार के लिए मिलेंगे सिर्फ 45 दिन

राजस्थान में राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए इस चुनाव में सिर्फ 45 दिन मिलेंगे। 2018 में 6 अक्टूबर को आचार संहिता लागू हुई थी और 7 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। इस हिसाब से 2018 में प्रत्याशियों को प्रचार के लिए 62 दिन मिले थे, लेकिन 9 अक्टूबर को आचार संहिता लगी है और 23 नवंबर को वोटिंग होने के कारण सिर्फ 45 दिन ही मिल रहे हैं।

सरकारी योजनाओं का लाभ और फोन नहीं मिलेगा

जयपुर में निर्वाचन आयोग के CEO प्रवीण गुप्ता ने बताया- ट्रांसफर और पॉलिटिकल नियुक्तियां होने के बाद अगर आज 12 बजे तक अधिकारी जॉइन नहीं कर पाए तो वो अब बिना आयोग की अनुमति के जॉइन नहीं कर सकेंगे। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। फोन नहीं मिलेगा। टेंडर प्रक्रिया नहीं होगी। अगर कोई वर्क ऑर्डर जारी हो गया है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। वो काम भी बिना आयोग की अनुमति के शुरू नहीं होगा। फूड पैकट और एलपीजी की सब्सिडी जारी रहेगी।

आचार संहिता में ये बंदिशें लागू रहेंगी

1. नए जिलों का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, अब नई सरकार ही फैसला करेगी
2. नई सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की घोषणा नहीं हो सकेंगी
3. मंत्री-विधायक सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे
4. सरकारी योजनाओं के बैनर, पोस्टर्स, सरकारी वेबसाइट से मुख्यमंत्री,मंत्रियों व अन्य राजनेताओं के पोस्टर हटाए जाएंगे
5. किसी भी प्रोजेक्ट का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं हो सकेगा

आचार संहिता का इन कामों पर नहीं पड़ेगा असर

1. जो सरकारी योजना शुरू हो चुकी हैं, उनका लाभ मिलता रहेगा
2. सरकार कोई तबादला नहीं कर पाएगी, लेकिन चुनाव आयोग अफसरों के ट्रांसफर कर सकेगा
3. सीएम-मंत्री रूटीन काम ही कर सकेंगे
4. सरकारी दफ्तर में जनता से जुड़े सामान्य काम पहले जैसे ही चलते रहेंगे
5. इमरजेंसी हालात में चुनाव आयोग की मंजूरी से बड़े फैसले हो सकेंगे

एक दिवसीय सुरक्षा सखियो को दी डिजिटल ट्रेनिंग

पावटा (विराट वैभव)। पंचायत समिति सभागार पावटा में राजीविका के द्वारा संबंधित पुलिस थाने से जुड़ी हुई महिला सुरक्षा सखियो को डिजिटल सखी के द्वारा एक दिवसीय मोबाइल ट्रेनिंग दी गई।ट्रेनिंग के दौरान राजीविका से BPM भावना आर्य, एरिया कॉर्डिनेटर मुकेश शर्मा, RPRP अनिता कंवर भी मौजूद रही। इस दौरान ममता शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान सरकार के द्वारा वितरित किए गए मोबाइल को चलाना, ऐप्प खोलना, फोन करना के साथ फ़ोन सम्बंधित अन्य जानकारीया दी गई।ट्रेनिंग के दौरान ममता शर्मा clf अध्यक्ष माँजुकोट सुरक्षा सखी अंकिता प्रजापत, मुकेश देवी, रेखा बाई यादव, प्रतिभा यादव, मीना देवी, दिव्या सैन,अनिता देवी पूजा कुमारी, मंजू चौहान सहित अन्य राजीविका से जुड़ी हुई सुरक्षा सखी ट्रेनिंग में उपस्थित रही।

सूचना

हम सोहिल चौधरी, मो. अनस, सानिया चौधरी पुत्र सिराज अली निवासी वार्ड नंबर 14 मित्तल नगर तहसील व जिला झुंझुनूं (राज.) यह शपथपूर्वक सहमति देते है कि हमारे पिताजी सिराज अली के नाम से एक वाहन 1109 ट्रक नंबर आरजे 18 जीए 5015 मॉडल 2012 रजिस्ट्रर्ड है, जिसका श्रीराम फाईनेंस कंपनी से लोन भी क्लीयर है। यह कि हमारे पिताजी के 28.02.2021 को देहांत के बाद अब इस वाहन को हमारी माताजी रूकसाना बानों पत्नी सिराज अली के नाम से ट्रांसफर किया जाता है तो हमे कोई एतराज नही है, हमारी सहमति है।

हाईवे पर 8 बार पलटी कार, युवक की मौत

कोटा से बारां जा रहे थे चार दोस्त; तीन गंभीर घायल

कोटा (विराट वैभव)। कोटा के सिमलिया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार पलटने से एक युवक की मौत हो गई। युवक दोस्तों के साथ कोटा से बारां जा रहा था। टोल नाके के पास कार अनियंत्रित होकर आठ बार पलटी खाते हुए डिवाइडर से टकरा गई। सिर पर चोट लगने से गंभीर घायल बारां निवासी सानिध्य कुमराह (23) की इलाज के दौरान मौत हो गई। जबकि कार सवार उसके तीन दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना कोटा-बारां फोरलेन पर सिमलिया टोल नाके के पास रात करीब साढ़े दस बजे की है।

बीकॉम में पढ़ता था

सानिध्य के ताऊ योगेश ने बताया कि सानिध्य बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था। रविवार को तीन दोस्त सारांश बंसल, शोभित बंसल और लवीश जैन के साथ कार से किसी काम से कोटा आया था। रात को चारों दोस्त वापस बारां जा रहे थे। सानिध्य कार में पीछे की सीट पर बैठा था। कार को उसका दोस्त चला रहा था। सिमलिया टोल नाके से पहले कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें चारों घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें हॉस्पिटल लाया गया। सिर पर गंभीर चोट लगने से सानिध्य की मौत हो गई। सानिध्य के पिता बारां में व्यापारी हैं।

एसएमएस हॉस्पिटल में नया कीर्तिमान

हार्ट में मिट्रल वॉल्व और इंटरवेंट्रीकुलर सेप्टम के बीच बनी गांठ को हटाया

देश में इस तरह के पहले ऑपरेशन का दावा

जयपुर कासं। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल (एसएमएस) की सिटी सर्जरी डिपार्टमेंट ने एक बड़ा ऑपरेशन करके कीर्तिमान रचा है। हॉस्पिटल के डॉक्टरों का दावा है कि इस तरह का देश का ये पहला ऑपरेशन है, जब हार्ट में मिट्रल वॉल्व और इंटरवेंट्रीकुलर सेप्टम के बीच बनी गांठ को हटाया गया। इसके साथ ही ऑपरेशन के दौरान मिट्रल वॉल्व को भी बदला गया। इस पूरे ऑपरेशन में 5 घंटे से ज्यादा समय लगा। मरीज को ऑपरेशन के बाद 2 दिन आईसीयू में रखा गया और उसके बाद जनरल वार्ड में लाया गया। मरीज अब पूरी तरह ठीक है।

सिटी सर्जरी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉ. संजीव देवगढा ने बताया- अजमेर निवासी बरखा जानवानी पिछले 6 साल से सांस की तकलीफ और कमजोरी से परेशान थी। पिछले महीने महिला जब एसएमएस के सिटी सर्जरी डिपार्टमेंट में दिखाया और जांच की तो पता चला दिल के दो हिस्सों मिट्रल वॉल्व और इंटरवेंट्रीकुलर सेप्टम के बीच एक गांठ बनी हुई है।

मरीज की पुरानी हिस्ट्री के बारे में पूछा तो पता चला कि हृदय की गांठ का पहले भी दो बार ऑपरेशन हो चुका है। पहला ऑपरेशन जयपुर में 2011 और दूसरा दिल्ली एम्स में 2013 में हुआ था। मरीज के ऑपरेशन के बाद दिल के नजदीक पेसमेकर भी लगाया गया था।

4 यूनिट चढ़ाना पड़ा ब्लड

डॉक्टर देवगढ़ा ने बताया कि मरीज का तीसरी बार ऑपरेशन करना बहुत कठिन था। लेकिन हमारी टीम ने विचार-विमर्श के बाद ऑपरेशन करने का निर्णय किया। ये ऑपरेशन 5 घंटे से ज्यादा समय तक चला और इस दौरान मरीज के 4 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया। ऑपरेशन के दौरान न केवल मरीज के मिट्रल वॉल्व और इंटरवेंट्रीकुलर सेप्टम को हटाकर गांठ निकाली गई, बल्कि मिट्रल वॉल्व को भी रिप्लेस किया गया। इस दौरान ऑपरेशन में उनके साथ डॉ. अनूला सिसोदिया, डॉ. मोहम्मद सामी, डॉ. संदीप महला, डॉ. वक्ता राम चौधरी, एनिस्थिसिया डिपार्टमेंट से डॉ. रीमा मीना, डॉ. अंजुम और डॉ. अरूण गर्ग थे।

रामायण पूजन पर निकाली शोभा यात्रा

विराटनगर (विराट वैभव)। श्री अवधेश कला केंद्र, रामलीला मंडल के तत्वावधान में 10 अक्टूबर से आयोजित होने वाली 16 दिवसीय रामलीला मंचन हेतु सोमवार को कस्बे में बाजे गाजे के साथ श्री रामायण मैया की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जो बस स्टैंड से रामलीला मैदान तक पहुंची, जहां ध्वज स्थापना कर आरती का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इससे पूर्व बस स्टैंड पर स्थित हनुमान बगीची में पंडित गोपाल शुक्ला के आचार्यत्व तथा भाजपा नेता महेंद्र शर्मा के यजमानत्व में श्री रामायण मैया तथा ध्वज की विधि विधान से पूजा की गई। इसी प्रकार रामलीला मंचन में अभिनय करने वाले राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता मैया व हनुमान जी के पात्रों का पूजा-अर्चना भी की गई। शोभा यात्रा में मंडल के सदस्य, गणमान्य नागरिक, एवं काफी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। इस दौरान मंडल अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने सभी आगंतुक महानुभावों का आभार व्यक्त किया।

पश्चिम रेलवे - राजकोट मण्डल

पीएसआई परिसंपत्तियों के रखरखाव का आउटसॉर्सिंग

निविदा सूचना सं. डीआरएम/आरजेटी/ई-निविदा/टीआरडी/2023-2024/9R दिनांक: 03/10/2023. **निविदा सं. डीआरएम-आरजेटी-ईएल-टीआरडी-2023-24-9R (1) कार्य का नाम:** राजकोट मण्डल पर 2 वर्ष की समयावधि के लिए पीएसआई परिसंपत्तियों के रखरखाव का आउटसॉर्सिंग करने का कार्य। **(2) अनुमानित लागत:** ₹ 1,81,12,145.60/- **(3) बीड़ सुरक्षा राशी:** ₹ 2,40,600/- **(4) ऑन लाईन आवेदन करने की तिथि एवं समय:** दिनांक **01/11/2023** को 15:00 बजे तक **(5) कार्यालय का पता:** मण्डल रेल प्रबंधक (विद्युत/कर्षण), पश्चिम रेलवे, कोटी कम्पाउन्ड, राजकोट-360 001, **वेबसाईट विवरण:** www.ireps.gov.in RJT-082

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत तृतीय
राजस्थान आवासन मण्डल जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर दूरभाष संख्या: 0141-4901853

आम जाहिर सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा **आवास संख्या-3 / MB / 81 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर, क्षेत्रफल 130.400 वर्ग मीटर** का आवंटन श्री सुशील अजमेरा पुत्र श्री हरि किशन अजमेरा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1895 दिनांक 08/02/2005 जारी किया गया उनके द्वारा उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय, उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 28/05/2005 को करवाया गया। श्री सुशील अजमेरा पुत्र हरि किशन अजमेरा के द्वारा उक्त आवास का मुख्यारनामा आम श्री कैलाश चन्द अग्रवाल पुत्र स्व. श्री आर.डी. अग्रवाल को नियुक्त कर, मुख्यारनामा आम का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 23/11/2006 को करवाया गया। तत्पश्चात श्री कैलाश चन्द अग्रवाल पुत्र स्व. श्री आर.डी. अग्रवाल के द्वारा मुख्यारनामाआम धारक की हैसियत से उक्त आवास का बेचान श्री कालूराम मुण्डोतिया पुत्र स्व0श्री कन्हैया लाल मुण्डोतिया को कर, विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर अष्टम में दिनांक 13/07/2009 को करवाया गया। श्री कालूराम मुण्डोतिया पुत्र स्व. श्री कन्हैया लाल मुण्डोतिया की मृत्यु दिनांक 20/03/2023 को हो जाने के कारण श्री दीपक मुण्डोतिया पुत्र स्व. श्री कालूराम मुण्डोतिया के द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत कर उक्त आवास / फ्लैट का प्रतिस्थापन अपने नाम करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास/ फ्लैट के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/ बैंक/ संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त **आवेदनकर्ता श्री दीपक मुण्डोतिया पुत्र स्व. श्री कालूराम मुण्डोतिया** के पक्ष में उक्त आवास / फ्लैट के प्रतिस्थापन की कार्यवाही करदी जायेगी।

सम्पदा प्रबंधक वृत तृतीय, ता.आ.म.जयपुर

पश्चिम रेलवे - भावनगर मण्डल

सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना अंतर्गत विभिन्न कार्य

भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से उप-मुख्य यांत्रिक इंजीनियर, सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, भावनगर परा, वर्कशॉप, पश्चिम रेलवे द्वारा निम्न कार्य के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है । **ई-निविदा सं.: BVPW-UW-42-CA-Piping. कार्य का नाम:** सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, पश्चिम रेलवे, भावनगर, गुजरात अंतर्गत कॉम्प्रेस्ड एयर पाईप लाईन प्रणाली की डिजाईन, आपूर्ति, संस्थापन, परिक्षण और कमीशनींग का कार्य। **कार्य की अनुमानित लागत:** ₹ 1,09,13,766.27/- **बयाना राशि:** ₹ 2,04,600/- **निविदा दस्तावेज शुल्क:** ₹ 0.00/- **निविदा प्रस्ताव की वैधता :** 60दिन, **कार्य पूर्ण करने की अवधि :** स्विकृति पत्र जारी करने की दिनांक से 06 महिने, **निविदा जमा करने की अंतिम तारीख एवं समय और खुलने की तारीख एवं समय:** दिनांक 25/10/2023 को 11:00 बजे एवं दिनांक 25/10/2023 को 11:30 बजे, **जारीकर्ता :** उप मुख्य यांत्रिक इंजीनीयर, मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय, सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, भावनगर परा, पश्चिम रेलवे, **महत्वपूर्ण लेख:** निविदा केवल इलेक्ट्रॉनिक रुप से https:// www.ireps.gov.in पर जमा की जाएगी और इस ई-निविदा के खिलाफ कोई मैनुअल प्रस्ताव की अनुमति नहीं है और इस कार्यालय में प्राप्त किसी भी मैनुअल प्रस्ताव को अनदेखा किया जाएगा और खोला नहीं जाएगा। BVP-097

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे - रतलाम मंडल

विभिन्न ट्रैक कार्य

No. W/623/5/1/NIT. दिनांक: 05/10/2023.

मण्डल रेल प्रबन्धक/मण्डल कार्यालय (कार्यलेखा शाखा) पश्चिम रेलवे, रतलाम भारत के राष्ट्रपति की और से निम्नलिखित कार्य के लिए "खुली निविदा" ई-निविदा के माध्यम से वेबसाइट www.ireps.gov.in पर आमंत्रित करते हैं। विवरण इस प्रकार है:-

क्रम संख्या, ई-टेण्डरिंग सं. व कार्य का नाम	अनुमानित लागत	बयाना राशी
1. E-Tender No. RTM-2023-24-93.	₹8,82,82,276.91	₹5,91,500/-

Nagda - Bhopal, Maksi - Dewas and Indore - Dewas - Ujjain Section - TBR 123.183 KM Shoulder & Crib Ballast by Shallow Screening, Casual Rail Renewal Work 3.0 KM, Through Rail Renewal - 7.280 KM with 60 Kg Rail and Isolated Sleepers of Points & Crossings, Deep Screening of Turnouts - 50 Sets, Through Fitting Renewal (GRSP) Turnouts - 1000 Sets work under Jurisdiction of Sr. DEN (South) Ratlam Section.

कार्य समापन अवधी: 24 Months. **Similar Type of Work:** Any Track Work. **वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि: 05/10/2023. निविदा खुलने की तिथि: 31/10/2023.**

● विस्तृत निविदा सूचना, अर्हता शर्तें एवं अन्य शर्तें वेबसाइट : www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है.

Sai/5/1/284

हमे लाइक करें : facebook.com/WesternRly | हमे फॉलो करें : twitter.com/WesternRly

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक
(एक नियत वाणिज्यिक बैंक)

पंजीकृत कार्यालय: द फेयरवे, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफडोम्लुर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चलघट्टा, बैंगलोर -562071। शाखा कार्यालय: '16/12, द्वितीय फ्लोर, डब्ल्यू.ई.ए, आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली -110005।

ई-नीलामी सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) 2002 के प्रवर्तन के तहत ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के प्रोविसो नियम 8(6) और 9 के साथ पठित।

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। ऋणी को विशेष रूप से और बड़े पैमाने पर जनता को सूचित किया जाता है कि गिरवी संपत्ति की **ऑनलाइन नीलामी (ई-नीलामी)** बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिए गए खाते में **"जैसा है जहां है"** और **"जो भी है जो कुछ भी है"** के आधार पर निर्धारित दिनांक को आयोजित की जाएगी।

क्र. सं	ऋण खाता संख्या	मुख्य ऋणी/सह-उधारकर्ता/गारंटर का नाम	13-2 नोटिस की दिनांक	कब्जे की दिनांक	08-10-2023 को वर्तमान में बकाया राशि	संपत्ति के निरीक्षण की दिनांक और समय	आईएनआर में आरक्षित मूल्य	आईएनआर में बयाना राशि जमा (ईएमडी)	ई-नीलामी की दिनांक और समय	बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम दिनांक, समय-जगह
1.	45908640000262 45908640000275 और 4590020000445281	1) मैसर्स कृष्णा एंटरप्राइजेज का प्रतिनिधित्व इसके मालिक श्रीमती कृष्णा देवी शर्मा द्वारा किया जाता है, 2) श्रीमती कृष्णा देवी शर्मा (उधारकर्ता), मालिक मैसर्स कृष्णा एंटरप्राइजेज, 3) श्री देवेन्द्र शर्मा (गारंटर)	12.04.2022	16.09.2023	रु. 48,56,985.9/- (रुपये अड़तालीस लाख छप्पन हज़ार नौ सौ पचासी और नौ पैसा मात्र)	27.10.2023 09:00 एएम से 05:30 पीएम तक	रु. 31,05,000/- (रुपये इकतीस लाख पांच हज़ार मात्र)	रु. 3,10,500/- (रुपये तीन लाख दस हज़ार पांच सौ मात्र)	15.11.2023 @ 11:00 एएम	14-11-2023 शाम 5:00 बजे से पहले जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। शाखा कार्यालय का पता: '16/12, द्वितीय फ्लोर, डब्ल्यू.ई.ए, आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली -110005।
	सुरक्षित संपत्ति का विवरण: प्लॉट नंबर 19-ए मयूर विहार, नांगल जैसा बोहरा, जयपुर-302012 क्षेत्रफल 200.0 वर्ग गज। मयूर विहार, नांगल जैसा बोहरा, जयपुर में स्थित **श्रीमती कृष्णा देवी शर्मा, डब्ल्यू/ओ गया प्रशाद शर्मा** के स्वामित्व में।									

संपत्तियों को **जैसा है जहां हैं के आधार पर और जैसा है जो है** के आधार पर आयोजित किया जा रहा हैं और **ई-नीलामी ऑन लाइन** आयोजित की जाएगी। नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैस